

लोक सभा आम निर्वाचन, 2019

निर्वाचन के निमित्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का डाटा उपलब्ध कराने हेतु संबंधित फार्म भरने हेतु निदेश

- संलग्न प्रपत्र Excel फॉर्मेट में देवघर जिले के बेवसाइट **deoghar.nic.in** के Home Page पर अपलोड किया गया है, वहाँ से Download करके उसमें डाटा भरा जा सकता है।
- संलग्न प्रपत्र में सम्पूर्ण डाटा अंग्रेजी के Capital Letter में Arial Font में Font size 10 रखते हुए MS Excel में ही तैयार करें, डाटा पूरी तरह से पठनीय रहे। हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी CD में Copy करने जमा किया जाना है। हस्तलिखित प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- ऑफिस कोड देवघर जिले के बेवसाइट **deoghar.nic.in** के Home Page पर अपलोड किया गया है, वहाँ से कोड प्राप्त कर उल्लेख करें। किसी कार्यालय का कोड अप्राप्त रहने पर ऑफिस कोड के स्थान पर रिक्त रहने दें।
- अपने ऑफिस का e-mail तथा Phone No/Mobile No. यथा स्थान अवश्य भरे जिससे कि ससमय सम्पर्क किया जा सके।
- संलग्न प्रपत्र को भरने के लिए कॉलमवार निदेश निम्न प्रकार है :-

कॉलम संख्या	यथोचित रूप से डाटा भरने हेतु निदेश
1	क्रमवार क्रमांक का उल्लेख करें।
2	पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम का उल्लेख करें। नाम के साथ श्री/श्रीमती/सुश्री आदि का उल्लेख न करें। केवल चिकित्सा पदाधिकारी के मामले में DR का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
3	पदाधिकारी/कर्मि के पदनाम का उल्लेख करें।
4	इपिक कार्ड की संख्या का उल्लेख करें। जैसे MQS4525896
5	पुरुष के लिए M एवं महिला के लिए F उल्लेख करें।
6	ग्रेड A, B, C अथवा D का उल्लेख करें।
7	वर्तमान में प्राप्त हो रहे बेसिक पे का उल्लेख करें।
8	यदि वेतन सातवें वेतनमान के अनुसार हो रहा है तो लेबल यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि का उल्लेख करें और यदि वेतन छठे वेतनमान के अनुसार हो रहा है तो पे बैंड यथा PB1, PB2, PB3 या PB4 आदि का उल्लेख करें।
9	वर्तमान में पदाधिकारी/कर्मि का ग्रेड पे क्या है, उसका उल्लेख करें।
10	जिस प्रखंड में आवासन कर रहे हैं उसका उल्लेख करें।
11	गृह (पैतृक आवास) जिस प्रखंड में है उसका उल्लेख करें।
12	10 अंक के मोबाइल नं0 का सही-सही उल्लेख करें, चेक करें कि मोबाइल नं0 10 अंक का ही है, कम या ज्यादा नहीं।
13	पदाधिकारी/कर्मि के बैंक खाता संख्या का सही-सही उल्लेख करें।
14	पदाधिकारी/कर्मि का खाता जिस बैंक में है उस बैंक का नाम का उल्लेख करें।
15	पदाधिकारी/कर्मि का खाता बैंक के जिस ब्रांच है उसके नाम का उल्लेख करें।
16	पदाधिकारी/कर्मि के संबंधित बैंक शाखा के IFSC Code का उल्लेख करें।
17	संबंधित कर्मि Regular सेवा में है या Contract सेवा में इसका उल्लेख R या C लिखते हुए करें।
18	यदि संबंधित कर्मि के पास Voter ID Card है तो Y एवं नहीं है तो N लिखते हुए उल्लेख करें।
19	Voter Card में दर्ज राज्य के नाम का उल्लेख करें।
20	Voter Card में दर्ज Assembly Constituency के नाम का उल्लेख करें।
21	Voter Card में दर्ज बुथ संख्या (Part No.) के नाम का उल्लेख करें।
22	Voter Card में दर्ज वोटर क्रमांक (SI No.) का उल्लेख करें।
23	कोई कर्मि यदि विकलांग हो, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और निर्वाचन के कार्य को न कर सके या दिसम्बर, 2019 तक सेवा निवृत्त हो रहे हो तो उसका उल्लेख Remarks कॉलम में अवश्य करें। और भी कोई उल्लेखनीय सूचना हो तो उसका भी उल्लेख Remarks कॉलम में ही करें।